डीआरआई ने नकली भारतीय नोट की छपाई के खिलाफ अभियान में, महाराष्ट्र में चार, हरियाणा, बिहार और आंध्र प्रदेश में एक-एक ठिकानों सहित सात और मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया; नौ गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 21 FEB 2025 3:11PM by PIB Delhi

भारतीय मुद्रा में इस्तेमाल होने वाले सिक्योरिटी पेपर के आयात और नकली भारतीय नोट (एफआईसीएन) की छपाई में शामिल मॉड्यूल के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने 20 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार में 11 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की और भारतीय नकली नोट की छपाई में शामिल सात और मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।

इससे पहले इस महीने 8 फरवरी को राजस्व आसूचना निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले और कर्नाटक के बेंगलुरु में 'भारतीय रिजर्व बैंक' और 'भारत' चिन्ह छपे हुए सुरक्षा धागे युक्त उच्च गुणवत्ता वाले कागज आयात करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। अगले दिन 9 फरवरी को निदेशालय ने महाराष्ट्र के ठाणे और हरियाणा के भिवानी जिले में आयातित सुरक्षा कागजों के इस्तेमाल से भारतीय नोट छापने के दो ठिकाने का भंडाफोड़ किया। डीआरआई की शिकायत के आधार पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

राजस्व आसूचना निदेशालय ने नए मामले में मुंबई के विक्रोली पश्चिम में सुरक्षा कागज आयात करने वाले की पहचान कर उसके ठिकाने पर तलाशी अभियान चलाया। घनी आबादी के इलाके में गहन तलाशी के बाद नकली भारतीय नोटों की छपाई और परिष्करण केंद्र का पता चला। वहां से 50 रुपये और 100 रुपये मूल्य के नकली नोट, कई मशीनरी/उपकरण जब्त किए गए। जब्त वस्तुओं में लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव, सुरक्षा पेपर, महात्मा गांधी के वॉटरमार्क वाले ए-4 आकार के कागज और बटर पेपर आदि शामिल हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और सभी मशीन और उपकरण जब्त कर लिए।

महाराष्ट्र के संगमनेर और कोल्हापुर जिले में राजस्व आसूचना निदेशालय ने कंप्यूटर और प्रिंटर युक्त ऐसे ही सेटअप का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल नकली नोट छापने के लिए हो रहा था। डीआरआई अधिकारियों

की शिकायत पर दोनों स्थानों पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रतिबंधित सामान जब्त कर पुलिस आगे जांच कर रही है।

कोल्हापुर मॉड्यूल के आरोपियों से पूछताछ के बाद कोल्हापुर पुलिस ने बेलगाम में प्रिंटिंग सेटअप वाले एक अन्य मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस मामले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया।

तीन अन्य स्थानों आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिला, बिहार में खगड़िया जिले तथा हरियाणा में रोहतक में सुरक्षा कागज आयात करने वालों का पता लगाया गया। पश्चिमी गोदावरी में प्रतिबंधित सुरक्षा कागज और प्रिंटर और खगड़िया जिले में लैपटॉप, प्रिंटर और प्रतिबंधित सुरक्षा कागज बरामद किए गए। डीआरआई अधिकारियों द्वारा दर्ज शिकायत पर वहां पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले की आगे जांच की जा रही है।

****

एमजी/केसी/एकेवी/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2105290) आगंतुक पटल : 465

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Gujarati , Tamil